



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012022-232438
CG-DL-E-05012022-232438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943

No. 62]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

का.आ. 63(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना-अमृतसर- कटरा एक्सप्रेसवे कि०मी० 432.3 से कि०मी० 475.7 (कठुआ) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त कठुआ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना- अमृतसर- कटरा एक्सप्रेसवे कि.मी. 432.3 से कि.मी.475.7 (कठुआ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: कठुआ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हीरानगर					
गांव का नाम: गुराह मुंडियन					
1	1242	निजी	कृषि	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
2	1243	निजी	कृषि	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
3	1247	निजी	कृषि	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
4	1248	निजी	कृषि	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
गांव का नाम: गुराह डेलेदारन					
1	674	निजी	कृषि	0.0152000(हेक्टेयर)	0.0152000
2	679	निजी	कृषि / गैर कृषि	0.0885000(हेक्टेयर)	0.0885000
3	680	निजी	कृषि / गैर कृषि	0.0303000(हेक्टेयर)	0.0303000
4	681	निजी	कृषि / गैर कृषि	0.1770000(हेक्टेयर)	0.1770000
5	683	निजी	कृषि	0.0885000(हेक्टेयर)	0.0885000
6	687	निजी	गैर कृषि	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
7	688	निजी	कृषि / गैर कृषि	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
8	689	निजी	कृषि	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
9	691	निजी	कृषि	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
10	696	निजी	कृषि	0.0885000(हेक्टेयर)	0.0885000
11	705	निजी	कृषि	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
12	712	निजी	कृषि / गैर कृषि	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000

13	751	निजी	कृषि	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
14	757	निजी	कृषि	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
15	758	निजी	कृषि	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
16	761	निजी	एग्रिकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
17	762	निजी	कृषि	0.0759000(हेक्टेयर)	0.0759000
18	763	निजी	कृषि	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
19	764	निजी	एग्रिकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
तालुक का नाम: कठुआ					
गांव का नाम: फोरलेन					
1	2968	निजी	कृषि	0.0151700(हेक्टेयर)	0.0151700
2	3003	निजी	कृषि	0.0379400(हेक्टेयर)	0.0379400
गांव का नाम: रेड					
1	15	सरकारी	कृषि	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
2	18	निजी	कृषि	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
3	94/19	निजी	कृषि	0.6580000(हेक्टेयर)	0.6580000
कुल				1.6135	1.6135

[फा. सं NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2022

S.O. 63(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km 432.3 to Km 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Kathua in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH-NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km 432.3 to Km 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: KATHUA		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Hiranagar					
Village: Gurah Mundian					
1	1242	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
2	1243	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
3	1247	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
4	1248	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
Village: Gurha Baildaran					
1	674	Private	Agriculture	0.0152000(Hectare)	0.0152000
2	679	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.0885000(Hectare)	0.0885000
3	680	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.0303000(Hectare)	0.0303000
4	681	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.1770000(Hectare)	0.1770000
5	683	Private	Agriculture	0.0885000(Hectare)	0.0885000
6	687	Private	Non Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
7	688	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
8	689	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
9	691	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
10	696	Private	Agriculture	0.0885000(Hectare)	0.0885000
11	705	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
12	712	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
13	751	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
14	757	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
15	758	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
16	761	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
17	762	Private	Agriculture	0.0759000(Hectare)	0.0759000
18	763	Private	Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
19	764	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
Taluk: Kathua					
Village: Forlain					
1	2968	Private	Agriculture	0.0151700(Hectare)	0.0151700
2	3003	Private	Agriculture	0.0379400(Hectare)	0.0379400
Village: Raid					
1	15	Government	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000

2	18	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
3	94/19	Private	Agriculture	0.6580000(Hectare)	0.6580000
Total				1.6135	1.6135

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3A]

RAJESH GUPTA, Director